न्यायालय विशिष्ठ न्यायाधीश, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) प्रकरण, जयपुर जिला जयपुर
(अति0 सेशन न्यायाधीश, क्रम–2, जयपुर जिला जयपुर)

पीठासीन न्यायाधीश	::	विद्यानन्द शुक्ला, आर.जे.एस.
सैशन प्रकरण संख्या	::	199 / 2022 (35 / 2016)
एन0सी0वी0 नंबर	::	269 / 2022
सी.एन.आर. नंबर	::	RJJD010021962022

राज्य, जरिये अपर लोक अभियोजक, जयपुर जिला जयपुर।

– बनाम –

1. सुरज्ञान पुत्र कैलाश,
2. मुकेश पुत्र कैलाश,
3. श्रीमती कदम देवी पत्नी कैलाश,
4. कैलाश पुत्र महादेव

समस्त निवासीयान भोजपुरा, तहसील जमवारामगढ़, पुलिस थाना मनोहरपुर, जिला जयपुर।

–अभियुक्तगण

अपराध अंतर्गत धारा 341, 323 / 34, 427, 427 / 34 भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 3–1 (X), अनु0 जाति / जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम

उपस्थितिः–

1. श्रीमती माया खड़ोलिया, अपर लोक अभियोजक, जयपुर।
2. श्री अनवर हुसैन,अधिवक्ता, अभियुक्त की ओर से।

–: निर्णय :– **दिनांक 25 मार्च, 2026**

1. उपरोक्त उनवानी आपराधिक प्रकरण थाना मनोहरपुर की ओर से प्रस्तुत अंतिम प्रतिवेदन संख्या **24 / 2013** पर न्यायालय द्वारा दिनांक 26.06.2013 को अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रसंज्ञान लिये जाने पर न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, शाहपुरा जिला जयपुर के समक्ष संस्थित हुआ। जहां से बाद कमिटल प्रकरण विशिष्ट न्यायाधीश अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) प्रकरण जयपुर महानगर को प्राप्त हुआ और तत्पश्चात् कालांतर में अंतरित होकर दिनांक 15.12.2022 को इस न्यायालय को उचित निस्तारण हेतु प्राप्त हुआ।

संक्षिप्त तथ्यः–

2. प्रकरण के आवश्यक तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, पीड़िता एवं प्रथम सूचनाकर्ता रामा देवी द्वारा न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, शाहपुरा के समक्ष एक परिवाद प्रदर्श पी–1 परिवाद में नामित चार व्यक्तियों के विरूद्ध पेश कर उसमें यह जाहिर किया गया कि, दिनांक 07.02.2013 को समय लगभग 8 पीएम पर प्रथम सूचनाकर्ता अपने घर के समीप वाले हैण्ड पंप से मटका पानी भरकर ला रही थी तो अचानक प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित कदम ने प्रथम सूचनाकर्ता को रोक लिया उसी समय सुरज्ञान, मुकेश एवं कैलाश ने आकर जातिसूचक शब्दों से अपमानित किया तथा सुरज्ञान एवं मुकेश ने प्रथम सूचनाकर्ता के सिर पर पानी से भरे मटके को घूंसा मारकर तोड़ दिया तथा प्रथम सूचनाकर्ता के साथ लात घूंसों से मारपीट की। प्रथम सूचनकर्ता ने आगे यह भी जाहिर किया कि उक्त घटना से पूर्व दिनांक 17.01.2023 को प्रथम सूचनाकर्ता का बच्चा राकेश व सुरज्ञान, मुकेश के मध्य झगड़ा हो गया था लेकिन प्रथम सूचनाकर्ता ने पड़ोसी होने के कारण कोई कार्यवाही नहीं की जिस रंजिश की वजह से उक्त घटना कारित की है.....आदि।'' जिस परिवाद प्रदर्श पी–1 को तत्समय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, शाहपुरा, जिला जयपुर द्वारा धारा 156(3) दंप्रसं. के तहत मुकदमा दर्ज करने हेतु भेजा गया। तत्पश्चात् थाना शाहपुरा में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 53/2013 दर्ज की गई। अनुसंधान प्रारंभ किया गया। बाद अनुसंधान मामले में अंतिम प्रतिवेदन अदम वकु झूंठ में प्रस्तुत किया गया, जिसके विरूद्ध प्रथम सूचनाकर्ता/पीड़िता द्वारा प्रोटेस्ट पिटीशन पेश की गयी एवं प्रोटेस्ट पिटीशन के समर्थन में स्वयं तथा गवाहान रामकुंवार एवं अल्लाहबख्श को परीक्षित करवाया गया, जिस पर न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 26.06.2013 द्वारा अभियुक्तगण सुरज्ञान, मुकेश, श्रीमती कदम एवं कैलाश के विरूद्ध धारा 341, 323, 427 भारतीय दंड संहिता व धारा 3–1 (X) अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अपराध का प्रसंज्ञान लिया गया।

आरोपः–

3. पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर दिनांक 16.07.2018 अनुसंधान सामग्री के आधार पर दिनांक 10.09.2018 को अभियुक्तगण को अपराध अंतर्गत धारा 341, 323, 323/34, 427, 427/34 भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 3–1 (X) अनु0 जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अंतर्गत

दंडनीय अपराध का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाये व समझाये गये। आरोप सुन समझ कर अभियुक्तगण ने अपराध अस्वीकार किया और अन्वीक्षा चाही।

साक्ष्य अभियोजनः–

4. अभियुक्तगण पर आरोपित अपराध को साबित करने के हेतु अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य के रूप में पी0ड0 1 रामा, पी0ड0 2 छीतरमल, पी0ड0 3 जगदीशप्रसाद शर्मा, पी0ड0 4 अल्लाहबख्श को परीक्षित करवाया गया तथा दस्तावेजीय साक्ष्य के रूप में प्रदर्श पी–1 परिवाद, प्रदर्श पी–2 चोट प्रतिवेदन रामा, प्रदर्श पी–3 नक्शा मौका, प्रदर्श पी–4 बयान न्यायालय अल्लाहबख्श को प्रदर्शित करवाया गया।

परीक्षण अंतर्गत धारा 313 दं0प्र0सं0

5. अभियुक्तगण को धारा 313 दं.प्र.सं. में परीक्षित किया गया। अपनी साक्ष्य में गवाहान के कथनों का गलत होना, गवाहान द्वारा झूंठ बोलना तथा साक्ष्य सफाई पेश करना जाहिर किया।

बहसः–

6. बहस अंतिम सुनी गई। संपूर्ण पत्रावली का अवलोकन किया गया। उभय पक्षों की ओर से की गई बहस का उल्लेख आवश्यकतानुसार विवेचना के दौरान किया जाएगा।

विचारणीय बिन्दु :–

7. उभय पक्षों की साक्ष्य और बहस पर मनन करने के पश्चात् न्यायालय के समक्ष विचारण योग्य बिन्दु निम्नवत उत्पन्न होते हैः–

1. क्या दिनांक 07.02.2013 को करीब 8.00पीएम पर ग्राम भोजपुरा में परिवादिया रामादेवी को रोककर सदोष अवरोध कारित कर उसके साथ थाप मुक्कों से मारपीट कर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित की एवं परिवादिया का मटका तोड़कर 50 रूपये से अधिक का नुकसान कर रिष्टी कारित की ?

2. क्या अभियुक्तगण द्वारा पीड़िता को यह जानकारी और आशय रखते हुए कि पीड़िता, अनुसूचित जाति/जनजाति की सदस्या है, को जातिसूचक शब्दों से अपमानित किया गया ?

3. यदि हॉ, तो अभियुक्तगण के लिए उचित दंड क्या होगा ?

विवेचनाः–

8. अब न्यायालय द्वारा उपरोक्त विचारणीय बिन्दु के प्रकाश में पत्रावली पर प्रस्तुत साक्ष्य की विवेचना निम्नवत् की जा रही है–

विचारणीय बिन्दु संख्या 1 :–

9. हस्तगत प्रकरण जिस परिवाद प्रदर्श पी–1 पर अस्तित्व में आया है, उसके अनुसार पीड़िता जब हैण्डपंप से पानी भरकर ला रही थी तब अभियुक्तगण ने उसे रास्ते में रोककर उसके साथ मारपीट की तथा मटका फोड़ दिया।

10. घटना के सम्बन्ध में रामा देवी पी0ड0 1 का अपनी मुख्य परीक्षा में यही कहना रहा है कि सात आठ साल पहले शाम 7–8 बजे पानी भरने हैडपंप मटकी लेकर गई तो कदम देवी ने उसे रोक लिया। फिर मुकेश, सुरज्ञान व कैलाश आये और उसके साथ मारपीट करने लगे। घटना से पहले लगभग 15 दिन पहले भी बंगला धाम में पौष बड़े के कार्यक्रम में उसके पुत्र राकेश के साथ उक्त सभी ने मारपीट की थी। उक्त गवाह ने परिवाद प्रदर्श पी–1, चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी–2, घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी–3 होना व उन पर स्वयं की अगूंठा निशानी होना जाहिर किया। उक्त गवाह ने मारपीट की घटना स्वयं के पति, महेश गुप्ता, रामकुंवार व गांव के अन्य लोगों द्वारा देखा जाना भी जाहिर किया है।

11. उक्त गवाह ने अपनी जिरह में यह स्वीकार किया है कि बच्चों के विवाद से पहले हमारा कोई विवाद नहीं था। झगड़े से पहले हमारे बीच बोलचाल है। बच्चों की बात पर तो हमारे आपस में राजीनामा हो गया था। उक्त गवाह ने अभियुक्तगण द्वारा उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाना व उक्त रिपोर्ट पर शाहपुरा कोर्ट में चालान पेश होना स्वीकार किया है तथा यह स्वीकार किया है कि उक्त मुकदमे में जुर्म स्वीकार करके फैसला करवा लिया था। उक्त गवाह ने यह भी स्वीकार किया है कि मुकेश व राकेश के बीच किस बात को लेकर कहासुनी हुई, उसे पता नहीं तथा वह वहां मौजूद नहीं थी।

12. इस प्रकार उक्त गवाह ने अपने साथ हुई घटना को जिस घटना पर आधारित होकर बताया है, उस घटना के सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं होना जाहिर किया है तथा स्वयं का वहां मौजूद नहीं होना भी जाहिर किया है। इस प्रकार प्रकरण में घटना का उद्देश्य/मोटिव ही प्रथम सूचनाकर्ता स्पष्ट नहीं कर सकी है तथा उक्त गवाह ने घटना स्वयं के पति, महेश गुप्ता, रामकुंवार व गांव के अन्य लोगों द्वारा देखा जाना जाहिर किया है। किंतु महेश गुप्ता, रामकुंवार दोनों साक्षीगण को न्यायालय में पेश

कर परीक्षित नहीं करवाया गया है। पीड़िता स्वयं ने अपने परिवाद में अभियुक्तगण द्वारा उसकी मटकी तोड़कर रिष्टि कारित करना वर्णित किया है किंतु इस सम्बन्ध में लेशमात्र भी कथन अपनी मुख्य परीक्षा में नहीं किया है जिससे पीड़िता द्वारा बताई गई घटना की ताईद स्वयं पीड़िता की साक्ष्य से नहीं होती है।

13. पी0ड02 के रूप में पीड़िता के पति छीतर मीणा को परीक्षित करवाया गया है जिसने पीड़िता के अनुरूप कथन करते हुए अपनी मुख्य परीक्षा में घटना को वर्णित किया है किंतु उक्त गवाह ने अपनी जिरह में स्पष्ट रूप से यह स्वीकार किया है कि वह झगड़े के समय मौके पर नहीं था। ऐसी स्थिति में उक्त गवाह अनुश्रुत साक्षी है जिसकी साक्ष्य पर विश्वास किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

14. अभियोजन पक्ष की ओर से गवाह पी0ड0 4 के रूप में अल्लाबख्श को परीक्षित करवाया गया है जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में 15–16 साल पहले शाम 4–5 बजे रामा देवी का बोरबेल पर पानी भरने जाना तथा स्वयं का बोरबेल का जाने पर वहां कदम व रामा के बीच लड़ाई होना, कैलाश, मुकेश व कैलाश के दूसरे लड़के का आ जाना एवं सभी के द्वारा रामा के साथ हाथापाई करना एवं गाली–गलोंच करना जाहिर किया है। उक्त गवाह ने अपनी जिरह में यह स्वीकार किया है कि मौके पर कहासुनी ही हो रही थी और कुछ समय बाद वे अपने–अपने घर चले गये थे। इस प्रकार उक्त गवाह ने अपने सामने अभियुक्तगण द्वारा पीड़िता के साथ किसी प्रकार की कोई मारपीट किये जाने के तथ्य की पुष्टि नहीं की है अपितु केवल मात्र मौके पर कहासुनी होना ही जाहिर किया है। यद्यपि उक्त गवाह ने अपनी मुख्य परीक्षा में मुकेश द्वारा पीड़िता की मटकी तोड़ देने का तथ्य जाहिर किया है किंतु उक्त गवाह की वक्त घटना उपस्थिति बाबत् परिवादिया ने न तो अपने परिवाद में अंकन किया है और न ही अपनी साक्ष्य के दौरान उक्त गवाह की उपस्थिति बताई है। ऐसी स्थिति में उक्त गवाह की वक्त घटना उपस्थिति ही संदेहास्पद हो जाती है।

15. अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत गवाह पी0ड0 3 जगदीश प्रसाद शर्मा अनुसंधान अधिकारी है जिसने तफ्तीश के दौरान नक्शा मौका प्रदर्श पी–3 बनाना, गवाहान के बयान उनके कथनानुसार लेखबद्ध करना जाहिर किया है। इसके अतिरिक्त अन्य ऐसी कोई तात्विक साक्ष्य गवाह ने नहीं दी है, जिससे अभियुक्तगण द्वारा पीड़िता के साथ मारपीट करना एवं उसकी मटकी तोड़कर रिष्टि कारित करना जाहिर होता हो।

16. अतः अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 341, 323, 427 भारतीय दण्ड संहिता का अपराध संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है अतः उक्त विचारणीय बिन्दू अभियोजन पक्ष के विरूद्ध निर्णीत किया जाता हैं।

विचारणीय बिन्दु संख्या :– 2

17. उक्त विचारणीय बिन्दु के सम्बन्ध में अभियोजन को यह साबित करना है कि क्या अभियुक्तगण द्वारा पीड़िता को अनु0जाति/जनजाति का सदस्य जानते हुए जातिसूचक शब्दों से संबोधित कर अपमानित किया गया। इस संबंध में न्यायालय के मतानुसार यदि अभियुक्तगण द्वारा पीड़ित को जातिसूचक शब्दों से संबोधित किया गया माना जाए तो भी अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3–1 (ड) के तहत अपराध सृजित करने हेतु न्यायालय को यह देखना होगा कि, क्या ऐसा कृत्य अपमानित करने के आशय से लोक दृश्य में आने वाले किसी स्थान पर किया गया है ? **लोक दृश्य स्थान में आने वाले के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्वर्ण सिंह बनाम राज्य, क्रिमिनल अपील नंबर 1287/2008 निर्णय दिनांकित 18.08.2008 में यह विनिश्चित किया था कि घटना लोक दृश्य स्थान पर होना आवश्यक है, जिस हेतु जनता के स्वतंत्र व्यक्तियों के समक्ष अपमानजनक शब्द बोले जाने चाहिए, जिसमें रिश्तेदार व दोस्त शामिल नहीं है। इसके अतिरिक्त बोम्बे उच्च न्यायालय द्वारा सलीम अब्दुल शेख बनाम महाराष्ट्र राज्य, क्रिमिनल अपील संख्या 1030/2018 निर्णय दिनांकित 25.09.2019 में भी यह विनिश्चय किया गया था कि लोकदृश्य स्थान में अपमानित अथवा अभित्रस्त किया जाना तभी माना जाएगा जब कम से कम एक स्वतंत्र व्यक्ति की उपस्थिति में ऐसा किया गया हो।**

18. यह भी विधिक स्थिति स्पष्ट है कि यदि अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति के साथ जिस स्थान पर मारपीट की गयी हो वहां अभियुक्तगण व पीड़ित पक्ष के अलावा अन्य किसी स्वतंत्र व्यक्ति की उपस्थिति होना साबित नहीं होता हो तो वहां पर अनुसूचित जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम का अपराध नहीं बनता है। हस्तगत प्रकरण में भी ऐसी ही स्थिति है, घटना प्रथम सूचनाकर्ता द्वारा सड़क के पास स्थित हैडपंप पर होना बताई गई है तथा प्रथम सूचनाकर्ता द्वारा अपने परिवाद में किसी भी अन्य व्यक्ति की घटनास्थल पर उपस्थिति नहीं बतायी है तथा अपने बयानों में स्वयं के पति, महेश गुप्ता, रामकुंवार द्वारा घटना देखना बताया गया है, जिनमें महेश गुप्ता व रामकुंवार को साक्ष्य में पेश नहीं किया गया है तथा गवाह छीतरमल प्रथम सूचनाकर्ता का पति है जो हितबद्ध गवाह की श्रेणी में आता है तथा उक्त गवाह

ने मौके पर झगड़े के समय उपस्थित नहीं होना स्वीकार किया है तथा अन्य गवाह पी0ड0 4 अल्लाबख्श ने अपनी मुख्य परीक्षा में अभियुक्तगण द्वारा पीड़िता को किसी प्रकार के जातिसूचक शब्दों से सम्बोधित करने बाबत् कोई कथन नहीं किया है तथा उक्त गवाह की उपरोक्त विवेचनानुसार मौके पर उपस्थिति भी संदेहास्पद पाई गई है। ऐसी स्थिति में वक्त घटना मौके पर पीड़िता एवं अभियुक्तगण के अतिरिक्त अन्य किसी स्वतंत्र व्यक्ति की उपस्थिति साबित नहीं होती है तथा पीड़िता ने अभियुक्तगण को पूर्व से जानना स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में यह नहीं कहा जा सकता कि किसी स्वतंत्र व्यक्ति के समक्ष प्रथम सूचनाकर्ता/पीड़िता के साथ गाली–गलोंच व मारपीट उसको अपमानित करने के लिए की गयी हो। इस प्रकार समस्त विवेचना उपरांत न्यायालय इस मत पर है कि अभियोजन पक्ष विचारणीय बिन्दु संख्या–2 संदेह से परे जाकर साबित करने में असफल रहा है।

विचारणीय बिन्दु संख्या 3 :–

19. चूंकि विचारणीय बिंदु संख्या–1 एवं विचारणीय बिन्दू संख्या–2 अभियोजन पक्ष के विरुद्ध निर्णीत हुआ है। ऐसी दशा में अभियुक्तगण किसी भी अपराध के सम्बन्ध में दोषसिद्ध कर दंडित किए जाने योग्य नहीं है।

निष्कर्ष

20. परिणामतः उक्त विवेचना के उपरांत अभियुक्तगण सुरज्ञान, मुकेश, कैलाश व कदम देवी को धारा 341, 323, 427 भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 3–1(X) अनु0 जाति/ जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के आरोप से संदेह का लाभ प्राप्त कर दोषमुक्त किए जाने योग्य है।

<u>आ दे श</u>

21. 1. कि अभियुक्तगण (1) सुरज्ञान पुत्र कैलाश, (2) मुकेश पुत्र कैलाश, (3) श्रीमती कदम देवी पत्नी कैलाश, (4) कैलाश पुत्र महादेव, समस्त निवासीयान–भोजपुरा, तहसील जमवारामगढ़, पुलिस थाना मनोहरपुर, जिला जयपुर को अपराध अंतर्गत धारा 341, 323, 427 भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 3–1(X) अनु0 जाति/जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के आरोप में संदेह का लाभ दिया जाकर दोषमुक्त घोषित किया जाता हैं।

2. कि अभियुक्तगण के न्यायालय में नियमित उपस्थिति बाबत जमानत मुचलके निरस्त किए जाते है।

3. कि अभियुक्तगण द्वारा धारा 437–क दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत राशि 10–10 हजार रूपये के जमानत मुचलके पेश किए जा चुके हैं। जो बाद गुजरने मियाद अपील/रिवीजन नियमानुसार निरस्त समझे जावें।

(विद्यानन्द शुक्ला)
विशिष्ठ न्यायाधीश,
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति
(अत्याचार निवारण) प्रकरण,जयपुर जिला जयपुर
(अति0 सेशन न्यायाधीश,क्रम–2, जयपुर जिला जयपुर)

22. निर्णय आज दिनांक 25 मार्च, 2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विद्यानन्द शुक्ला)
विशिष्ठ न्यायाधीश,
अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति
(अत्याचार निवारण) प्रकरण,जयपुर जिला जयपुर
(अति0 सेशन न्यायाधीश,क्रम–2, जयपुर जिला जयपुर)